

## कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक / २७६ / अ.जि.द. / एस.डब्ल्यू / 2020  
प्रति,

खाद्य नियंत्रक,  
रायपुर

विषय :- जिले में संचालित पेट्रोल पंपों एवं राशन दुकानों में फिजिकल डिस्ट्रेसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने बाबत्।

रायपुर, दिनांक २६/०८/२०२०

--०--

विषयान्तर्गत लेख है कि जिले के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान यह देखा गया है कि कई पेट्रोल पंपों एवं राशन दुकानों में लोग बिना मास्क के उपस्थित हो रहे हैं तथा उनके द्वारा फिजिकल डिस्ट्रेसिंग का ध्यान भी नहीं रखा जा रहा है, इसके बावजुद पेट्रोल पंपों एवं राशन दुकान संचालक द्वारा उन्हे वांछित सामग्री प्रदाय की जा रही है। यह अधोहस्ताक्षरी द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का सीधा उल्लंघन है।

अतः आपको आदेशित किया जाता है कि स्वयं या अपने अधिनस्थ अधिकारी / कर्मचारियों के माध्यम से यह सुनिश्चित करें कि जिले में संचालित सभी पेट्रोल पंपों एवं राशन दुकानों में फिजिकल डिस्ट्रेसिंग का कड़ाई से पालन हो तथा सभी व्यक्ति अनिवार्यतः मास्क लगायें। यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क के पेट्रोल पंपों या राशन दुकान में उपस्थित होता है तो उन्हें पेट्रोल/डीजल या राशन नहीं दिया जाए। उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराये, यदि कही उल्लंघन होता पाया जायेगा, तो आप उसके लिए उत्तरदायी होगें।

*M.S. Aw*  
कलेक्टर<sup>रायपुर</sup>  
एवं जिला दण्डाधिकारी,  
रायपुर

रायपुर, दिनांक २६/०८/२०२०

पृ. क्रमांक / २७७A / अ.जि.द. / एस.डब्ल्यू / 2020

प्रतिलिपि :-

- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- अपर कलेक्टर समस्त, जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- समस्त इन्सिडेंट कमान्डर, जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) समस्त जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- तहसीलदार/नायब तहसीलदार समस्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- खाद्य निरीक्षक ..... समस्त जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं पालनर्थ। उपरोक्त निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करावें अन्यथा उत्तरदायित्व निर्धारित किया जावेगा।

*M.S. Aw*  
कलेक्टर<sup>रायपुर</sup>  
एवं जिला दण्डाधिकारी,  
रायपुर